

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना।
/पटना, दिनांक:-

पत्रांक:-

कार्यालय आदेश

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के Regulation for Diploma / Technology Examination के कंडिका X (10) एवं Guidelines for the Centre Superintendent of Examination के कंडिका 3 में किये गये प्रावधान के आलोक में Disciplinary Action Committee (D.A.C) का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है।

- | | | |
|---|---|-----------|
| (i) Centre Superintendent | - | Chair man |
| (ii) Joint Centre Supritendent | - | Member |
| (iii) Assistant Centre Suprintendent / Senior most Lecturer | - | Member |
| (iv) Invigilator (Concerned)
(At least two) | - | Member |


उपरोक्त D.A.C, S.B.T.E द्वारा निर्धारित Scales of Punishment for the use of Unfairmeans के अनुसार अपनी स्पष्ट अनुशांसा के साथ प्रतिवेदन के रूप में परीक्षा नियंत्रक S.B.T.E को सीधे प्रेषित करेंगी।

विश्वासभाजन,
ह0/-
सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 2348

पटना/दिनांक:- 11.7.2016

प्रतिलिपि:- सभी केन्द्राधिक्षक/मूल्यांकन निदेशक/सभी प्राचार्य राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/परीक्षा नियंत्रक/उप-परीक्षा नियंत्रक/सहायक सचिव/सभी सहायक राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11.07.2016

सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।